Email

दिनांक–10.08.2015 को माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बिहार भूदान यज्ञ कमिटि के कार्यों की समीक्षा, पुर्नगठन आदि प्रशासनिक विषयों पर आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. अध्यक्ष, बिहार भूदान यज्ञ समिति
2. निदेशक–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
3. संयुक्त सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग
4. संयुक्त निदेशक, कृषि गणना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
5. विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग
6. उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

कार्यवाही :–

दिनांक–10.08.2015 को माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में भूदान यज्ञ समिति के पुर्नगठन एवं समिति के कार्यकलाप से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा एवं समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष, बिहार भूदान यज्ञ समिति, विधि विभाग, वित्त विभाग के प्रतिनिधियों के साथ ही विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा भाग लिया गया। वित्तीय वर्ष 2014–15 की अवधि में अध्यक्ष, भूदान यज्ञ समिति एवं उनके द्वारा नियुक्त कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव वित्त विभाग को सहमति हेतु भेजा गया था, जिसमें वित्त विभाग के द्वारा स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में भूदान यज्ञ समिति द्वारा मात्र 54.79 एकड़ भूमि का ही वितरण किया गया। इस गति से भूमि वितरण करने हेतु समिति को कम से कम 100 वर्ष लगने की संभावना है, जिसके आलोक में वित्त विभाग द्वारा आयोच्य अवधि में वेतन भुगतान के लिए राशि उपलब्ध कराने पर सहमति देते हुए समिति को विघटित करने का परामर्श दिया गया। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी अपने आदेश में बिहार भूदान यज्ञ समिति के कार्यों की समीक्षा कर एक माह के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री के अवलोकनार्थ उपस्थापित करने का आदेश दिया गया।

माननीय मुख्यमंत्री के उक्त आदेश एवं वित्त विभाग के उक्त परामर्श के आलोक में दिनांक 10.08.2015 को माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में उक्त समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वप्रथम भूदान यज्ञ कमिटी को विगत पॉच वर्षो में किये गये बजट उपबंध एवं वास्तविक व्यय की समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि

(1) वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 में उपबंध करायी गयी राशि का सामंजन सम्बन्धी महालेखाकार, बिहार का प्रमाण पत्र अप्राप्त है।

(2) वित्तीय वष 2012–13 तथा 2013–14 में अंकेक्षण कराने हेतु वित्त विभाग को प्रशासी द्वारा अनुरोध किया गया था जो अब तक लम्बित है।

(3) भूदान यज्ञ कमिटि को संचालित रखने के औचित्य के संबंध में यह सूचना कमिटि द्वारा दी गई थी कि अभी भी वित्तरण हेतु 6055.09 एकड़ जमीन शेष बची हुई है। इसके अलावा पूर्व से आवंटित भूमि में से बेदखल हो गये पर्चाधारियों को पुनः दखल दिलाने का अभियान लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिनांक–30.09.2015 तक निर्धारित है।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि

(1) भूदान यज्ञ कमिटि पर प्रत्येक वर्ष बिहार सरकार द्वारा लगभग 1.50 करोड़ रूपये खर्च किया जा रहा है।

(2) वित्तीय वर्ष 2014–15 में भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा मात्र 54.79 एकड़ भूमि का ही वित्तरण किया है। इस गति से भूमि वित्तरण होने पर कमिटि को कम से कम 100 वर्ष भू–वित्तरण पर समय लगेगा।

(3) आवंटित भूमि से बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलाने का कार्य जिला स्तर से किया जा रहा है।

अध्यक्ष, बिहार भूदान यज्ञ समिति के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आलोक में भूदान यज्ञ कमिटी को दानपत्रों से प्राप्त भूमि, सम्पुष्ट भूमि, वितरित भूमि, बेदखल किये गये पर्चाधारियों आदि से संबंधित विवरण निम्नवत है :–

1	कुल प्राप्त भूमि–दान पत्र सं0–2,32,139 रकवा–6,48,593 ए0 14 डि0
2	कुल सम्पुष्ट भूमि–दान पत्र सं0–1,37,783 रकवा–3,45,380 ए0 88 डि0
3	कुल सम्पुष्ट भूमि में अयोग्य भूमि का रकवा–1,03,560 ए0 53 डि0
4	कुल सम्पुष्ट भूमि में योग्य भूमि रकवा–2,41,820 ए0 35 डि0
5	कुल सम्पुष्ट योग्य भूमि में वित्तरित भूमि–2,41,152 ए0 57 डि0
6	सम्पुष्ट योग्य भूमि वितरण के लिए शेष–667 ए0 78 डि0
7	सम्पुष्ट अयोग्य में वितरण के लिए शेष रकवा–1,03,560 ए0 53 डि0
8	असम्पुष्ट अयोग्य भूमि का रकवा–2,82,585 ए0 13 डि0
9	असम्पुष्ट दान पत्र संख्या–51,783, रकवा–1,56,310 ए0 22 डि0
	(क) व्यौरा के साथ अपुष्ट दान पत्र सं0–16,234 , रकवा–46,399 ए0 35 डि0
	(ख) व्यौराहिन परन्तु हस्ताक्षर युक्त दान पत्र सं0–35,549, रकवा–1,09,910 एकड़ 85 डि0
	(ग) कोर्ट द्वारा खारिज दान पत्र (रद्द) सं0–42,573 , रकवा–1,46,902 ए0 4 डि0
10	अपुष्ट वितरित भूमि का रकवा–15,239 ए0 42 डि0
11	अपुष्ट भूमि पुष्टि कराकर वितरण के लिए शेष–5,387 ए0 31 डि0
12	मानीय उच्च न्यायालय मे चल रहे वाद पत्रों की सं0 (अनुमानित)–115
13	जिले के न्यायालयों में चल रहे वादों की सं0 (अनुमानित)–540
14	सूचनानुसार बेदखल भूदान किसानो की संख्या–1575
15	बेदखल अनुमानित भूदान किसानों की संख्या–1,22,708

बैठक में उपरोक्त विवरणी की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि क्रमांक 6 पर सम्पुष्ट एवं वितरण योग्य भूमि का कुल रकवा 667.78 एकड़ अंकित है जबकि सम्पुष्ट भूमि, वितरित भूमि आदि की समीक्षा किये जाने पर सम्पुष्ट एवं वितरण योग्य भूमि का रकवा शुन्य है जिस स्थिति को स्पष्ट करने का अनुरोध अध्यक्ष, बिहार भूदान यज्ञ समिति को बैठक में किया गया।

बैठक में अध्यक्ष, भूदान यज्ञ समिति को निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपने स्तर पर कार्रवाई करने एवं प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया –

1. बैठक में अध्यक्ष, भूदान यज्ञ समिति को ब्यौराहीन दानपत्रों की सूची विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि उसकी जॉच संबंधित समाहर्त्ताओं से करायी जा सके।

2. अध्यक्ष, भुदान यज्ञ समिति को भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के न्यायालयों में सम्पुष्टि हेतु उपलब्ध कराये गये दानपत्रों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, ताकि विभागीय समीक्षात्मक बैठकों में सम्पुष्टि हेतु आवश्यक निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया जा सके। भूदान यज्ञ समिति से प्राप्त सूचनानुसार विभिन्न भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के न्यायालयों को कुल 16,234 ब्योरा के साथ दानपत्र उपलब्ध कराये गये है जिसका कुल रकवा 46,399.35 एकड़ है। इस प्रकार के सभी दानपत्रों में जमीन का ब्योरा भी अंकित है। अध्यक्ष, भुदान यज्ञ समिति से बैठक में अनुरोध किया गया कि वे न्यायालयवार असम्पुष्ट दानपत्रों की सूची अविलम्ब उपलब्ध करावे, ताकि 31.01.2016 तक सम्पुष्टि की कार्रवाई का आदेश भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को दिया जा सके। सम्पुष्टि के पश्चात भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा उसका वितरण 31.03.2016 तक किये जाने का अनुरोध अध्यक्ष, भुदान यज्ञ समिति से बैठक में किया गया।

3. अध्यक्ष, भूदान यज्ञ समिति द्वारा सम्पुष्ट, लेकिन वितरण हेतु अयोग्य भूमि का कुल रकवा 1,03,560.53 एकड़ अंकित किया गया है साथ ही असम्पुष्ट अयोग्य भूमि का रकवा 2,82,585.13 एकड़ अंकित किया गया है। उंक्त दोनों बिन्दुओं से संबंधित विवरणी विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध अध्यक्ष, भुदान यज्ञ समिति से किया गया, ताकि उसकी जॉच एवं समीक्षा विभाग के स्तर से की जा सके, साथ ही उसका सत्यापन क्षेत्रीय पदाधिकारियों से करायी जा सके। सभी वांछित सूचनाएँ दिनांक 31.08.2015 तक भूदान यज्ञ समिति विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. वैसे मामले जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के न्यायालय द्वारा दानपत्रो को सम्पुष्ट नहीं किया गया/दानपत्रो को असम्पुष्ट करने का आदेश दिया गया, से संबंधित मामलों में अपीलवाद दायर करने का अनुरोध अध्यक्ष, भुदान यज्ञ समिति से किया गया।

उक्त सभी कार्य दिनांक 31.03.2016 तक भूदान यज्ञ समिति के द्वारा किये जाने का अनुरोध अध्यक्ष, भुदान यज्ञ समिति से किया गया ताकि भूदान यज्ञ समिति को विघटित करने अथवा उसे अनुदान चालू रखने के संबंध में विभाग के स्तर से निर्णय लिया जा सके।

(उप सचिव) | (संयुक्त निदेशक) | (विशेष सचिव)

ज्ञापांक :-7/भूदान-13/14 /रा0, पटना-15 दिनांक-

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, बिहार भूदान यज्ञ कमिटी, बिहार, पटना/निदेशक-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/संयुक्त निदेशक, कृषि गणना/संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग/उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(विनोद कुमार झा),
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

ज्ञापांक :-7/भूदान-13/14 1023(7) /रा0, पटना-15 दिनांक- 19/8/15

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार, पटना/सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार झा),
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।